>

Title : Need for payment of wages to workers under NREGA in Mirzapur, Uttar Pradesh.

श्री बाल कुमार पटेल (मिर्ज़ापुर): सभापति महोदय, ग्रामों के विकास के लिए नरेगा योजना चलाई गई है। यह अच्छी योजना है, यह बात ठीक है, लेकिन इस योजना में हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं। मैं मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के लिए चुना गया हूं। अभी बहुत लोगों ने कहा कि इसमें अनियमितताएं नहीं होती हैं, लेकिन हलिया विकास खंड में नौ माह पूर्व किए गए कार्य की मजदूरी के 19 लाख रुपए गबन किए गए और जब मजदूरों ने आन्दोलन किया, तो वहां के प्रशासन ने उन्हें गैंगेस्टर कानून के तहत अंदर भेजने का काम किया। इसी प्रकार वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत नरेगा योजना में किए गए कार्य की छः माह पूर्व की मजदूरी मांगने पर आदिवासियों के रिहायशी छप्पर उजाड़कर वन विभाग द्वारा बेदखल किया गया और उनके विरुद्ध वन अधिनियम के अन्तर्गत मिर्जापुर में फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का एक ब्लॉक राजगढ़ में भी पड़ता है। राजगढ क़े ग्राम चौखड़ा में तो काम हुआ ही नहीं, तालाब खुदा ही नहीं और रु. 3,61,200 रुपए निकाल लिए गए। ये अनियमितताएं हमारे मिर्जापुर जनपद में हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां के लोगों की नरेगा के अन्तर्गत बकाया मजदूरी का भुगतान अविलम्ब कराया जाए और उनके विरुद्ध दायर किए गए फर्जी मुकदमे समाप्त किए जाएं एवं नरेगा की धनराशि फर्जी तरीके से हड़पने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे आंदोलनकारियों को न्याय मिल सके। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।